

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,

चरित्र प्रमाण-पत्र

1. आवेदक का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. आयु
4. शैक्षिक योग्यता
5. व्यवसाय
6. पता- (अ) स्थाई पता दूरभाष सहित

राजपत्रित अधिकारी
द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट
साइज का नवीनतम
फोटोग्राफ चस्पा किया
जाय।

- (ब) अस्थायी पता दूरभाष सहित

7. अपराधिक मुकदमों का विवरण

(व्यक्ति के विरुद्ध जनपद में दर्ज मुकदमों, अपराधिक गतिविधियों और असामाजिक कार्यों का विवरण दिया जाय। यदि किसी न्यायालय में अपराधिक मुकदमा चल रहा है तो उसका विवरण भी दिया जाय। यदि लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया हो तो उसका विवरण भी दिया जाय। माफिया/गैंगस्टर गतिविधियों एवं संगठित अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के बारे में विशेष रूप से जांच करने के बाद ही प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय और इसका उल्लेख इस कालम में अवश्य किया जाय।)

8. सामान्य ख्याति

9. प्रमाण-पत्र:-

मेरे द्वारा श्री के कार्य और आचरण तथा चरित्र के संबंध में पूरी तथ्यात्मक जानकारी कर ली गई है। इनके विरुद्ध अपराधिक मुकदमों की सूचना भी पुलिस से प्राप्त की गई है। सभी तथ्यों की जानकारी के पश्चात मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री का कार्य और आचरण तथा चरित्र उत्तम है और इनके लोक निर्माण विभाग में अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग में ठेकेदार का कार्य करने पर सामान्यतः आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

दिनांक

हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर
(मुहर सहित)

- नोट-1. जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर द्वारा यह प्रमाण-पत्र अपने स्वयं के हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा। उसके स्थान पर किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।
2. प्रमाण-पत्र देने के पूर्व वह आवश्यकतानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / तहसीलदार / एस0डी0एम0 / अपर जिलाधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकारी से जांच कराकर रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं।
 3. संबंधित व्यक्ति से स्वघोषणा शपथ-पत्र भी ले सकते हैं।
 4. यह प्रमाण-पत्र सामान्यतः दो वर्ष के लिये मान्य होगा। यदि इससे पूर्व कोई अपराधिक घटना होती है अथवा प्रार्थी के विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा आदि दर्ज होता है या वह किसी संगठित अपराध में या माफिया गतिविधियों में या असामाजिक गतिविधियों में पकड़ा जाता है तो पुलिस विभाग का यह उत्तरदायित्व होगा कि इसकी सूचना वह जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को देगा और प्रमाण-पत्र तत्काल निरस्त किया जायेगा।
 5. इस प्रमाण-पत्रों की प्रविष्टि जिलाधिकारी कार्यालय में तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक अलग रजिस्टर में विधिवत अंकित की जायेगी और निर्गत प्रमाण-पत्र की एक प्रमाणित फोटो प्रति रजिस्टर में अवश्य रखी जायेगी।
 6. इस प्रमाण-पत्र के निर्गत करने अथवा निरस्त करने के संबंध में अन्तिम निर्णय संबंधित जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर का होगा।

7. निर्गत प्रमाण-पत्र की एक कार्यालय प्रति (Office Copy) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अवश्य रखी जायेगी और एक अलग रजिस्टर में प्रविष्टि अंकित की जायेगी जिससे रिकार्ड रहे।
 8. संबंधित व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट साइज का अपना नवीनतम फोटोग्राफ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, चरित्र प्रमाण-पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जायेगा।
-